जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

विषय : जयपुर विकास प्राधिकरण की 54वीं बैठक दिनांक 17.03.2007 एवं 19.03.2007 का कार्यवाही विवरण

क्र. सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना
01.	54.1 (पृ. 1 से 26)	जयपुर विकास प्राधिकरण की 53वीं बैठक दिनांक 18.10.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	जयपुर विकास प्राधिकरण की 53वीं बैठक दिनांक 18.10.2006 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।		
02.	54.2 (पृ. 27 से 45)	जयपुर विकास प्राधिकरण की 53वीं बैठक दिनांक 18.10.2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना।	जयपुर विकास प्राधिकरण की 53वी बैठक दिनांक 18.10.2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना बाबत संतोष प्रकट किया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।		
03.	54.3 (पृ. 46 से 47)	जयपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवंटित भूखण्डों के निर्माण की अवधि बढाने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवंटित भूखण्डों के निर्माण की अवधि बढाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	
04.	54.4 (पृ. 48 से 52)	सैक्टर अभियंता के सीधी भर्ती कोटा के 10 पदों को पदोन्नति कोटा में एकबारीय स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात सैक्टर अभियंता के सीधी भर्ती कोटा के 10 पदों को पदोन्नति कोटा में एकबारीय स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	

05.	54.5 (पृ. 53 से 55)	Generation and utilization of Capital Funds of Jaipur Development Authority	After discussion on the agenda note along with the supplementary to agenda note, it was resolved that the surplus amount of the development/capital receipts over the related expenditure/payments at the end of the year be transferred to the development/capital fund to be incurred/utilized in the coming years. It was further resolved that the Jaipur Development Commissioner be and is hereby authorized to approve the utilization/ ansfer/accounting/resolution/as may be required from time to time. year to year for any surplus in the revenue/capital / development receipts to be used in the next years for the objects being carried on by the Authority.	निदेशक (वित्त)	
06.	54.6 (पृ.56 से 94)	जयपुर विकास प्राधिकरण के आय--व्यय अनुमान वर्ष 2007--08 एवं संशोधित आय--व्ययक अनुमान वर्ष 2006--07 का अनुमोदन।	जयपुर विकास प्राधिकरण के आय--व्यय अनुमान वर्ष 2007--08 एवं संशोधित आय--व्ययक अनुमान वर्ष 2006--07 का विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुसार अनुमोदन किया गया।	निदेशक (वित्त)	

07.	54.7 (पृ. 95 से 96)	भूखण्ड संख्या बी–6, नित्यानन्द नगर, गांधी पथ, वैशाली नगर के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।	विचार विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या बी–6, नित्यानन्द नगर, गांधी पथ, वैशाली नगर के मुआवजा राशि के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	
08.	54.8 (पृ. 97 से 98)	आर.ओ.बी. जगतपुरा एवं 200 फिट महल रोड से प्रभावित भूखण्ड/दुकान/कब्जाशुद्वा भूमि एवं स्ट्रक्चर्स के सम्बन्ध में ई.सी. के निर्णय दिनांक 22.12.2006 का प्राधिकरण की बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात आर.ओ.बी. जगतपुरा एवं 200 फिट महल रोड से प्रभावित भूखण्ड/दुकान/कब्जाशुद्वा भूमि एवं स्ट्रक्चर्स के सम्बन्ध में कार्यकारी समिति के निर्णय दिनांक 22.12.2006 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	
09.	54.9 (पृ. 99)	विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना पार्वती नगर व रामेश्वरधाम बी के नियमन के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की बैठक में विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि पूर्व में जिन भूखण्डधारियों को लीजडीड जारी कर दी है उनके अनुसार ही समान नीति रखते हुए भविष्य में भी योजना को सहकारी समिति की योजना मानते हुए एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदे हुए भूखण्डों को भी योजना का भाग मानते हुए पूर्वानुसार लीजडीड जारी करने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	
10.	54.10 पृ. (100)	प्लांटेशन कोरीडोर के संबध में।	विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 24.1.2007 में लिये गये निर्णय की पुष्टि कर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (आयोजना)	

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

क्र. स.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना
11.	54.1 (पृ. 1 से 2)	स्पेशल इकोनोमिक जोन विकसित किये जाने हेतु सम्पर्क सडको सहित अवाप्त की जाने वाली भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने व स्पेशल इकोनोमिक जोन से संबधित अन्य बिन्दुओं के संबध में निर्णय हेतु।	विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :– 1. रिंग रोड से सेज तक की सम्पर्क सडक के री–एलाइनमेंट के अनुसार नवीन प्रस्तावित 9.99 हैक्ट. भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की पुष्टि की जाकर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। 2. सेज के पश्चिमी भाग से अजमेर रोड तक 160 फिट की सडक हेतु 320 फिट चौडी भूमि के 13.41 हैक्ट. भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की पुष्टि की जाकर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। 3. स्पेशल इकोनोमिक जोन व सम्पर्क सडकों की अवाप्ति में आ रही भूमि के बदले 20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यावसायिक विकसित भूमि सेज क्षेत्र में दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 4. 25 प्रतिशत विकसित भूमि ग्रामवार जोन बनाकर सर्वप्रथम यथासंभव उसी ग्राम के तत्पश्चात यथासंभव नजदीकी ग्राम के प्रभावित खातेदारों को दी जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 5. 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा जारी आरक्षण पत्र की कार्यवाही की पुष्टि की जाकर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	

17.	54.7 (पृ 30 से 35)	जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रशासनिक सेवा में उपायुक्त के 2 पदों को अतिरिक्त आयुक्त के पद में क्रमोन्नत करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रशासनिक सेवा में उच्चतर पद संयुक्त आयुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.10.2006 में प्रस्ताव संख्या 53.5 के अन्तर्गत रखा गया था। जिसमें संयुक्त आयुक्त के स्थान पर अतिरिक्त आयुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। अब प्रस्तुत प्रस्ताव पर पुनः विस्तृत चर्चा की गई तथा अतिरिक्त आयुक्त के स्थान पर संयुक्त आयुक्त किये जाने का प्रस्ताव पारित किया जाकर तदानुसार नियमों में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया एवं वर्तमान में प्राधिकरण सेवा के स्वीकृत उपायुक्त (वेतन श्रृखला 12000 से 16500) के दो पदों को संयुक्त आयुक्त के पदों में (वेतन श्रृखला 19--14300--400--18300) क्रमोन्नयन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा राज्य सरकार को क्रमोन्नयन की स्वीकृति हेतु भिजवाने का भी निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

20.	54.10 (पृ. 39)	सीकर रोड पर जविप्रा द्वारा सृजित की गई आनन्द लोक आवासीय योजना को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या--11, सीकर रोड़ से जोडने हेतु प्रस्तावित 100 फिट रोड में आने वाली निजी खातेदारी भूमि को जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा--44 के तहत आपसी समझौते के आधार पर लिये जाने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 14.6.2006 मे लिये गये निर्णय का अनुमोदन कर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	
21.	54.11 (पृ. 40)	दिल्ली रोड पर ग्राम गुणावता तहसील आमेर में जविप्रा द्वारा एकीकृत आवासीय टाउनशिप जिसे सिंगल बिड के माध्यम से निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है, को दिल्ली रोड से जोडे जाने के लिए प्रस्तावित 160 फिट रोड में आने वाली निजी खातेदारी/आबादी भूमि को जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा--44 के तहत आपसी समझौते के आधार पर लिये जाने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 14.6.2006 मे लिये गये निर्णय का अनुमोदन एवं कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	
22.	54.12 (पृ.)	प्राधिकरण क्षेत्र में सुविधा क्षेत्र में शामिल भूखण्डों के सुविधा से मुक्ति के संबंध में।	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित पत्र दिनांक 09.02.2007 में उल्लेखित मूल आवंटी के अतिरिक्त पश्चातवर्ती हस्तान्तरी (Subsequent Transferee) को भी शामिल किया जाकर पुनः संशोधित पत्र राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।	निदेशक (आयोजना)	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं विचार विमर्श पश्चात निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—

क्र. सं.	विचारणीय बिन्दु	लिये गये निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी
1.	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनियों को जयपुर नगर निगम को हस्तान्तरित किया जावें।	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर नगर निगम को हस्तान्तरित की जाने वाली विकसित आवासीय कॉलोनियों का चिन्हिकरण किया जा रहा है एवं इन कॉलोनियों को जयपुर नगर निगम को हस्तान्तरण करने की स्वीकृति शीघ्र ही राज्य सरकार से प्राप्त की जावेगी।	निदेशक (अभियांत्रिकी)
2.	जयपुर विकास प्राधिकरण की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी जावें।	जयपुर विकास प्राधिकरण की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी हेतु योजनाओं की विवरण पुस्तिका जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जावें एवं इन योजनाओं विशेष रूप से बी.आर.टी.एस. तथा शूटिंग रेन्ज का Presentation जनप्रतिनिधियों के समक्ष कराये जाने की व्यवस्था की जावें।	निदेशक (अभियांत्रिकी)
3.	जगतपुरा क्षेत्र में फायर स्टेशन हेतु भूमि आवंटन की जावें।	आगामी एल.पी.सी. की बैठक में फायर स्टेशन हेतु भूमि आवंटन का प्रकरण प्रस्तुत कर भूमि आवंटन का निर्णय लिया जावें।	अतिरिक्त आयुक्त (पू.)
4.	खानिया बांध हेतु सिचांई विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राशि स्वीकृत की जावें।	सिचांई विभाग से प्राप्त रिपोर्ट की जांच पश्चात राशि स्वीकृत कर सिचांई विभाग को दी जावें।	निदेशक (अभियांत्रिकी)

आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण

5.	500 वर्ग गज से अधिक के गैर आवासीय भूखण्डों के रूपान्तरण/नियमन की स्वीकृति का अधिकार पूर्व की भांति जयपुर विकास प्राधिकरण को दी जावें।	यह प्रकरण वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जावें।	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)
6.	राजस्थान आवासन मण्डल एवं रीको की अवाप्तशुद्धा भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजनाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जयपुर विकास प्राधिकरण को सम्बन्धित विभाग द्वारा शीघ्र प्रदान किया जावें।	राजस्थान आवासन मण्डल के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को 19 आवासीय कॉलोनियों की अनापत्ति प्रेषित की जा चुकी है तथा शेष कॉलोनियों की अनापत्ति दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	आवासन आयुक्त (राजस्थान आवासन मण्डल)
7.	जयपुर शहर में चल रही डेयरियों को हस्तान्तरण किया जावे एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डेयरी योजनाओं को इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जावें। पूर्व में जो डेयरीधारक सर्वे से वंचित रह गए है उनके बारे में भी आवश्यक निर्णय लिया जावें। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 92 पट्टाशुद्धा डेयरीधारकों को मौके पर कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की जावें।	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डेयरी योजना हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जावें। जो डेयरीधारक पूर्व में कराये गये सर्वे से वंचित रह गए है उनके बारे में जयपुर नगर निगम को नीतिगत निर्णय हेतु लिखा जावें। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन डेयरीधारको को लीज डीड जारी की जा चुकी है, उनको मौके पर कब्जा दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।	निदेशक (अभियांत्रिकी) एवं अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)
8.	गृह निर्माण सहकारी समितियों की गैर अनुमोदित कॉलोनियों में पार्को की भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने की कार्यवाही की जावें।	गृह निर्माण सहकारी समितियों की ऐसी गैर अनुमोदित कॉलोनियां जिनका रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जा चुका है, उन कॉलोनियों के पार्को की चारदीवारी कराई जावें।	निदेशक (अभियांत्रिकी)

जयपुर विकास प्राधिकरण

9.	जयपुर रीजन में शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित 113 गाँवो में विकास कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जावें।	इस प्रकरण में 113 गाँवो को शामिल करने हेतु राज्य सरकार के स्तर पर अधिसूचना जारी की जानी है। अधिसूचना जारी होने के पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार विकास कार्य प्रारम्भ किये जायेगें।	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)

इसके अतिरिक्त जयपुर नगर निगम एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सडकों की स्थिति में सुधार किये जाने की आवश्यकता बताई गई। ग्राम झालाना, खो–नागोरियान, रामजीपुरा पुरानी आबादी में बसे हुये लोगो को जविप्रा स्तर से पट्टे जारी करने की मांग की गई। कच्ची बस्तियों के नियमन की कार्यवाही के सन्दर्भ में माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के सन्दर्भ में शीघ्र परीक्षण कराया जाकर राज्य सरकार के स्तर से निर्देश प्राप्त किये जाकर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता बताई गई। शहर के परकोटे के अन्दर पुराने आतिश मार्केट को प्राधिकरण द्वारा न्यू आतिश मार्केट में स्थानान्तरित किया जा चुका है। अतः पुराने आतिश मार्केट का कब्जा सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा लिया जाना सुनिश्चित किया जावें, साथ ही यह देखा जावे कि अनाधिकृत रूप से अन्य व्यक्ति पुराने आतिश मार्केट की दुकानों का किराया वसूल नहीं कर रहा है। ग्राम शिवदासपुरा में रेल्वे लाईन ऑवर ब्रिज का निर्माण, पालडी मीणा मे प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि का 15 प्रतिशत विकसित भूमि के बारे में मुआवजा देने एवं पालडी मीणा में पीने के पानी की टंकी बनाये जाने की मांग भी बैठक में प्रस्तुत की गई।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

सचिव
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की 54वीं बैठक दिनांक 17.03.2007 एवं 19.03.2007 को प्राधिकरण के सभा कक्ष "मंथन" में श्री प्रताप सिंह सिंघवी, माननीय राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :–

क्र. स.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	
1.	श्री प्रतापसिंह सिंघवी	राज्यमंत्री	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।	अध्यक्ष
2.	श्री अजयपाल सिंह	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
3	श्री अशोक परनामी	महापौर	जयपुर नगर निगम, जयपुर	सदस्य
4.	श्री मोहन लाल गुप्ता	विधायक	किशनपोल	सदस्य
5.	श्री कालीचरण सर्राफ	विधायक	जौहरी बाजार	सदस्य
6.	प्रो0 बीरू सिंह राठौड	विधायक	बनीपार्क	सदस्य
7.	श्री सुरेन्द्र पारीक	विधायक	हवामहल	सदस्य
8.	श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा	विधायक	फागी	सदस्य
9.	श्री नवरतन राजौरिया	विधायक	सांभर	सदस्य
10.	डॉ. ललित के. पंवार	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग	सदस्य
11.	डॉ डी0बी0 गुप्ता	जयपुर विकास आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
12.	श्री डी0पी0 बंसल	तकनीकि सहायक, मुख्य अभियंता	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राज.,जयपुर।	सदस्य

अन्य उपस्थित अधिकारी

13.	श्री जी.एल. गुप्ता	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
14.	श्रीमती कौमुदी गुप्ता	निदेशक वित्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
15.	श्री एस.सी. सोनी	निदेशक अभियांत्रिकी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
16.	श्री एस.सी.महागांवकर	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
17.	श्री राजेन्द्र कुमार केडिया	निदेशक विधि	जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।	
18.	सुश्री रेखा गुप्ता	अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
19.	श्री रामनिवास मीणा	अति.आयुक्त पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।	
20.	श्री मातादीन शर्मा	अति.आयुक्त एल0पी0सी0	जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।	
21.	श्री जी. एल. शर्मा	मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	

सचिव

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक :– प.31(54)जविप्रा / जोन–2 / 2007 / डी– 1044 दिनांक :– 29.3.07

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

क.स.	पद	विभाग का नाम
1.	निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,जयपुर।
2.	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3.	महापौर	जयपुर नगर निगम।
4.	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
5.	श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक	किशनपोल
6.	श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक	हवामहल
7.	प्रो0 बीरू सिंह राठौड, विधायक	बनीपार्क
8.	श्री कालीचरण सर्राफ, विधायक	जौहरी बाजार
9.	श्री कन्हैयालाल मीणा, विधायक	बस्सी
10.	श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक	फागी
11.	श्री नवरतन राजौरिया, विधायक	साभर
12.	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13.	जयपुर विकास आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14.	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
15.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर
16.	मुख्य नगर नियोजक	राजस्थान, जयपुर
17.	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
18.	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
19.	मुख्य अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
20.	निजी सचिव, सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21.	निर्देशक अभियांत्रिकी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

22.	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23.	निदेशक वित्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24.	निदेशक प्रोजेक्टस	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	निदेशक विधि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26.	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27.	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28.	अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
29.	अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
30.	मुख्य नियत्रंक प्रवर्तन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
31.	जनसम्पर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
32.	सहायक आयुक्त (प्रोटोकाल एवं नजारत)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।